अनुसूची 14 –फारम सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख..तक

जिला–.........राँची...................., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–29 सन्–2019–20

वाद का प्रकार–U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

अर्जीकार–प्रमोद कुमार भगत, प्रतिपक्षी–राजीव कुमार, अंचल अधिकारी, बुण्डू (राँची)।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–प्रमोद कुमार भगत, पे०–स्व० वृन्दावन भगत, सा०–मेन रोड बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–250 R27/2018-19/बुण्डू में दिनांक–05/18/2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू	28	1499	2566	39.5 डिसमील
बुण्डू	बुण्डू	28	1499	2568	98 डिसमील

अपीलार्थी द्वारा दाखिल आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अंचल अधिकारी, बुण्डू से मूल अभिलेख की माँग करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पर अपने पक्ष में निम्नलिखित कथन कहते हैं –

1. वर्ष 1961 में उपरोक्त वर्णित भूमि का जमाबंदी अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम से खोला गया। तत्पश्चात बिहार भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4 (h) के तहत पारित आदेश दिनांक–07.07.1993 के द्वारा अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द किया गया। तदोपरांत अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची में रिट याचिका W.P.(C) No.-138 वाद दायर किया गया जिसमें पारित आदेश दिनांक–19.04.2006 द्वारा अपीलार्थी को न्याय हेतु सक्षम न्यायालय में पैरवी करने हेतु स्वतंत्र कर किया गया।
2. यह कि उप न्यायाधीश–I, खूँटी के न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा दायर वाद टाईटल सूट नं०–10/2006 दायर किया गया जिसे दिनांक–27.03.2009 को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा विद्वान न्यायिक आयुक्त, राँची के न्यायालय में टाईटल

8.05.22

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

वाद सं०–53/2009 दायर किया गया जिसमें विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त–V, राँची द्वारा पारित आदेश एवं डिक्री क्रमशः दिनांक–26.06.2016 एवं 11.07.2016 द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में अपील स्वीकृत किया गया।

3. यह कि उपरोक्त वर्णित भमि का दाखिल खारिज अपीलार्थी के नाम पर करने हेतु अपीलार्थी द्वारा दिनांक–13/12/2016 को अंचल अधिकारी, बुण्डू के समक्ष नामांतरण आवेदन दाखिल किया गया किंतु उक्त आवेदन पर अंचल अधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में एक रिट याचिका W.P.(C) No.-2065 of 2018 दायर किया गया, उक्त वाद में पारित आदेश दिनांक–04/24.08.2018 द्वारा अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज हेतु अंचल कार्यालय, बुण्डू में स्वच्छ आवेदन दायर करने हेतु स्वतंत्र किया गया। साथ ही उक्त आदेश में अंचल अधिकारी, बुण्डू को यह निर्देश दिया गया है कि अभिलेखों की जाँच एवं आवेदक/अपीलार्थी एवं संबंधित अन्य (यदि आवश्यक हो) को पर्याप्त अवसर देकर सुनते हुए आवेदन पत्र प्राप्ति के 12 हफ्ते के अन्दर विधि सम्मत आदेश पारित करेंगे।

4. यह कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक–09.24.2018 को उपरोक्त वर्णित भूमि का दाखिल खारिज हेतु ऑनलाईन आवेदन दायर किया गया, जिसका नामांतरण वाद सं०–250 R27/2018-19/बुण्डू है। विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त–V, राँची द्वारा टाईटल अपील वाद सं०–53/2009 में पारित आदेश एवं डिक्री क्रमशः दिनांक–26.06.2016 एवं 11.07.2016 की जाँच किए बिना अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा उक्त नामांतरण वाद को अस्वीकृत किया गया।

अपीलार्थी की ओर से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त भूमि के दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अंचल अधिकारी, बुण्डू के पत्रांक–272 दिनांक–31/07/2019 के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–250 R27/2018-19/बुण्डू का मूल अभिलेख प्राप्त है। प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, बुण्डू द्वारा आवेदित नामांतरण आवेदन पर मार्गदर्शन हेतु विधि शाखा, राँची से मार्ग दर्शन की मांग की गयी थी जिसके अप्राप्त होने के कारण उक्त नामांतरण वाद को अस्वीकृत किया गया है।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
	पुनः अंचल अधिकारी, बुण्डू के पत्रांक–507 (ii) दिनांक–23/09/2020 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित भूमि मौजा–बुण्डू खाता संख्या–1499 आर.एस. खतियान के अनुसार जिला परिषद (सरकारी खाता) के नाम से दर्ज है, जिसके कारण नामांतरण अस्वीकृत किया जा चुका है। आवेदक द्वारा स्वत्व वाद का आदेश प्राप्त किया गया है। इस संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, राँची से मार्ग दर्शन की मांग की गई है। अद्यावधि मार्ग निदेश प्राप्त नहीं है।	
	अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, अभिलेखबद्ध दस्तावेजों एवं प्राप्त अंचल प्रतिवेदन के आधार पर इस अपील वाद को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–250 R27/2018-19 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है, साथ ही अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि संदर्भित मामले में प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, राँची से मार्ग–दर्शन प्राप्त करते हुए नामांतरण हेतु नियमानुसार विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।	
	इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।	
	लेखापित एवं संशोधित।	
	18.05.12 **भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।**	
	18.05.12 **भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।**	